


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री राजू कुमार पिता- चितलाल साव, निवासी ग्राम- बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात खाता सं.- 20 प्लॉट सं.- 288; खाता सं.- 39, प्लॉट सं.- 282, 342, 355, 362, 428, 435, 501, 530, 709; खाता सं.- 09 प्लॉट सं.- 457, 507; खाता सं.- 43 प्लॉट सं.- 287; खाता सं.- 8 प्लॉट सं.- 121, 146/720 और होन्हे खाता सं.- 62 प्लॉट सं.-545 (1.750 acres); एवं ग्राम-कुंडी under खाता सं.- 7 प्लॉट सं.-305; खाता सं.- 15 प्लॉट सं.- 10 & देवलगड़ा under खाता सं.-6 प्लॉट सं.- 29 (0.245 acres) कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_emploi.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रॉची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम:बिंगलात खाता सं.- 20 प्लॉट सं.- 288; खाता सं.- 39, प्लॉट सं.- 282, 342, 355, 362, 428, 435, 501, 530, 709; खाता सं.- 09 प्लॉट सं.- 457, 507; खाता सं.- 43 प्लॉट सं.- 287; खाता सं.- 8 प्लॉट सं.- 121, 146/720 & होन्हेखाता सं.- 62 प्लॉट सं.-545 (1.750 acres); ग्राम-कुंडी under खाता सं.- 7 प्लॉट सं.-305; खाता सं.- 15 प्लॉट सं.- 10 & देवलगड़ा under खाता सं.-6 प्लॉट सं.- 29 (0.245 acres) कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि,जिसे सी बी ए, 1957 अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री राजू कुमार पिता- चितलाल साव, निवाशी ग्राम- बिंगलात , थाना: टंडवा , जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


10/10/2022